

कार्यालय पदाभिहित अधिकारी, लोक सेवा केंद्र Basoda

टप्पा/तहसील बासौदा जिला विदिशा

दिनांक 14/06/2018

क्र. RS/443/0110/8158/2018 /बी-121/2018

स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र



प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु. **मालम सिंह** पिता/पति **नवल सिंह** निवासी **नोघई, Noghai, Basoda, विदिशा** तहसील **बासौदा जिला विदिशा (मध्यप्रदेश)** राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के लिए प्रभावशील जाप दिनांक **20/12/2011** में निर्धारित मापदण्ड की कण्डिका क्रमांक (ii) की पूर्ति करने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है।

* प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रमांक **सी-3/17/1/3/2011** दिनांक **20/12/2011** के अधीन आवेदक द्वारा दिए विवरण अनुसार आवेदक की पत्नी*/अवयस्क बच्चे* जिनका विवरण नीचे वर्णित है, मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है -

(1) आवेदक की पत्नी का नाम **सुनीता** आयु **35** वर्ष है।

(2) आवेदक के अवयस्क पुत्र/पुत्री एवं आयु

क्रमांक	अवयस्क पुत्र/पुत्री	आयु (वर्ष)
1	आशुतोष	17
2	अनुराग	15

टीप :- यह प्रमाण पत्र जाति निर्धारण के लिए जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र की जाँच में साक्ष्य हेतु विचारार्थ साक्ष्य नहीं होगा।

(आवेदक द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र के आधार पर जारी)



A S KAURAV
प्राधिकृत अधिकारी

लागू न होने पर काट दें।